न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

निगरानी संख्या–15/2022

1. राजकुमार पुत्र स्व. विद्याधर वर्मा, जाति जाट, निवासी बिरोल, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू।
2. शीतल कुमार पुत्र स्व. विद्याधर वर्मा, जाति जाट, निवासी बिरोल, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू।
3. सज्जन कुमार पुत्र स्व. विद्याधर वर्मा, जाति जाट, निवासी बिरोल, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू।
4. कमलेश कुमार पुत्र स्व. विद्याधर वर्मा, जाति जाट, निवासी बिरोल, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू।
5. कृष्ण कुमार पुत्र स्व. विद्याधर वर्मा, जाति जाट, निवासी बिरोल, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू।

–निगरानीकार

–बनाम–

1. संतरा देवी पत्नी स्व. विद्याधर वर्मा, जाति जाट, निवासी बिरोल, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू।
2. ग्राम पंचायत बिरोल जरिए सरपंच बिरोल, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू।

– गैर निगरानीकार

निगरानी अं0धारा 97 राज0 पंचायती राज अधि01994 विरूद्ध आदेश
ग्राम पंचायत बिरोल, बाबत पट्टा नंबर 1 दिनांक 21.7.2011

उपस्थितिः–

1. श्री योगेन्द्र शर्मा, एडवोकेट ————————निगरानीकारान की ओर से।
2. श्री अंजु शर्मा एडवोकेट————————गैर निगरानीकारान की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 21.11.2022

उक्त निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत बिरोल, बाबत पट्टा नंबर 1 दिनांक 21.7.2011 के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि– निगरानीकार का कथन है कि ग्राम बिरोल में प्रार्थीगण की एक पैत्रिक रिहायशी गुवाड़ी है जिसमें प्रार्थीगण शांतिपूर्वक निवास करते हैं। उक्त गुवाड़ी प्रार्थीगण के पिता की थी। प्रार्थीगण के पिता का देहान्त वर्ष 2007 में हो चुका है। निगरानीकार के पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात् गैर निगरानीकार नंबर 1 ने ग्राम पंचायत बिरोल से उक्त भूमि का पट्टा अपने हक में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:12:08 IST
Reason: SelfAttested

जारी करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर ग्राम पंचायत बिरोल ने संकल्प संख्या –6 के आधार पर दिनांक 20.7.2011 को गैर निगरानीकार नंबर 1 संतरा देवी के हक में पट्टा जारी करने का आदेश दिया तथा आदेश की पालना में दिनांक 21.7.2011 को पटटा नंबर 01 संतरा देवी के हक में जारी कर दिया। उक्त पट्टे की निगरानीकार को कोई भी जानकारी नहीं थी। उक्त भूमि में निगरानीकार भी निवास करते हैं। ग्राम पंचायत ने जानबूझकर बिना जांच किये तथा बिना तथ्यों पर गौर किये उक्त विधि विरूद्ध आदेश जारी कर पटटा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत बिरोल को उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज कानून के नियम 141 में 150 की पालना करना आवश्यक था, तथा मौके की रिपोर्ट हल्का पटवारी व पंचगणों की समिति से प्राप्त करनी थी। परन्तु ग्राम पंचायत ने विधि के स्थापित प्रावधानों का उलंघन कर उक्त पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार के पिता तथा गैर निगरानीकार नंबर 1 के पति की पैत्रिक सम्पति थी, जिसमें प्रत्येक का समान हिस्सा था। निगरानीकार उक्त भूखण्ड में अपने अपने हक हिस्से पर काबिज हैं तथा अपने हिस्से की भूमि का स्वतंत्र रूप से उपयोग उपभोग करना चाहते है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकार नंबर 2 द्वारा गैर निगरानीकार नंबर 1 के हक में जारी पट्टा नंबर 01 दिनांक 21.7.2011 को खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्धान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि ग्राम बिरोल में प्रार्थीगण की एक पैत्रिक रिहायशी गुवाड़ी है जिसमें प्रार्थीगण शांतिपूर्वक निवास करते हैं। उक्त गुवाड़ी प्रार्थीगण के पिता की थी। प्रार्थीगण के पिता का देहान्त वर्ष 2007 में हो चुका है। निगरानीकार के पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात् गैर निगरानीकार नंबर 1 ने ग्राम पंचायत बिरोल में उक्त भूमि का पट्टा अपने हक में जारी करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिसपर ग्राम पंचायत बिरोल ने संकल्प संख्या –6 के आधार पर दिनांक 20.7.2011 को गैर निगरानीकार नंबर 1 संतरा देवी के हक में पट्टा जारी करने का आदेश दिया तथा आदेश की पालना में दिनांक 21.7.2011 को पटटा नंबर 01 संतरा देवी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:12:08 IST
Reason: SelfAttested

हक में जारी कर दिया। उक्त पटटे की निगरानीकार को कोई भी जानकारी नहीं थी। उक्त भूमि में निगरानीकार भी निवास करते हैं। ग्राम पंचायत ने जानबूझकर बिना जांच किये तथा बिना तथ्यों पर गौर किये उक्त विधि विरूद्ध आदेश जारी कर पटटा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत बिरोल को उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज कानून के नियम 141 में 150 की पालना करना आवश्यक था, तथा मौके की रिपोर्ट हल्का पटवारी व पंचगणों की समिति से प्राप्त करनी थी। परन्तु ग्राम पंचायत ने विधि के स्थापित प्रावधानों का उलंघन कर उक्त पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार के पिता तथा गैर निगरानीकार नंबर 1 के पति की पैत्रिक सम्पति थी, जिसमें प्रत्येक का समान हिस्सा था। निगरानीकार उक्त भूखण्ड में अपने अपने हक हिस्से पर काबिज हैं तथा अपने हिस्से की भूमि का स्वतंत्र रूप से उपयोग उपभोग करना चाहते है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकार नंबर 2 द्वारा गैर निगरानीकार नंबर 1 के हक में जारी पट्टा नंबर 01 दिनांक 21.7.2011 को खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

गैर निगरानीकार की और से विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार ने निगरानीकार के कथनों को स्वीकार किया तथा गैर निगरानीकार नंबर 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 21.7.2011 को खारिज किये जाने पर कोई एतराज नहीं होना जाहिर किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार नंबर 1 की यह स्वीकारोक्ति है कि विवादित भूखण्ड निगरानीकार के पिता एवं गैर निगरानीकार नंबर 1 के पति का पैत्रिक भूखण्ड रहा है और उक्त भूखण्ड पर सभी अपने अपने हिस्से पर निवास कर काबिज हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत बिरोल द्वारा उक्त पट्ट संख्या–01 दिनांक 21.07.2011 बिना मौका एवं तथ्यों की जांच किये केवल गैर निगरानीकार नंबर 1 नाम से जारी किया गया है, जो विधिक प्रावधानों के अनुसार सही नहीं है। पट्टा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है प्रिन्टेड प्रफोर्मा को भरकर सिर्फ खाली स्थानों पर हस्ताक्षर कर औपचारिकता पूरी की जाकर उक्त पट्टा जारी किया गया है, जो विधिक प्रावधानों से बाहर जाकर जारी किया जाना प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:12:08 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार ... प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बिरोल द्वारा संकल्प संख्या 06 दिनांक ... 2011 के क्रम में गैर निगरानीकार

संख्या–1 संतरा देवी के नाम से जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 21.07.2011 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बिरोल को भिजवायी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 21.11.2011 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:12:08 IST
Reason: SelfAttested